An *aerial view of Khelgaon Road in Ranchi decked up with LEDs for*
GLOBAL INVESTER'S SUMMIT
held on 17th -18th Feb. 2017.

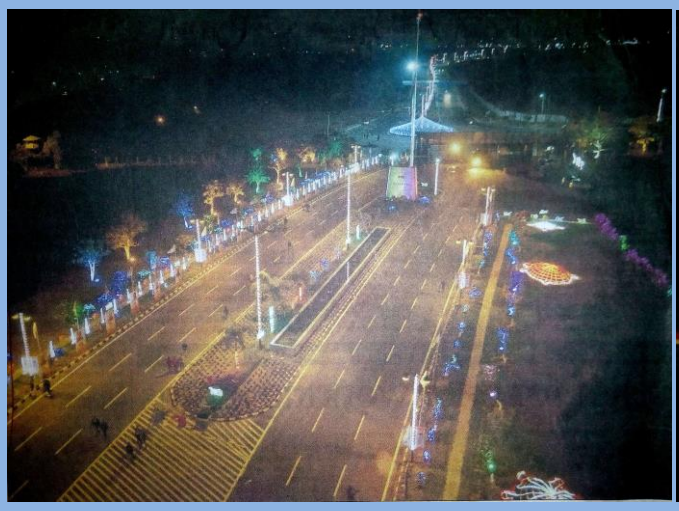

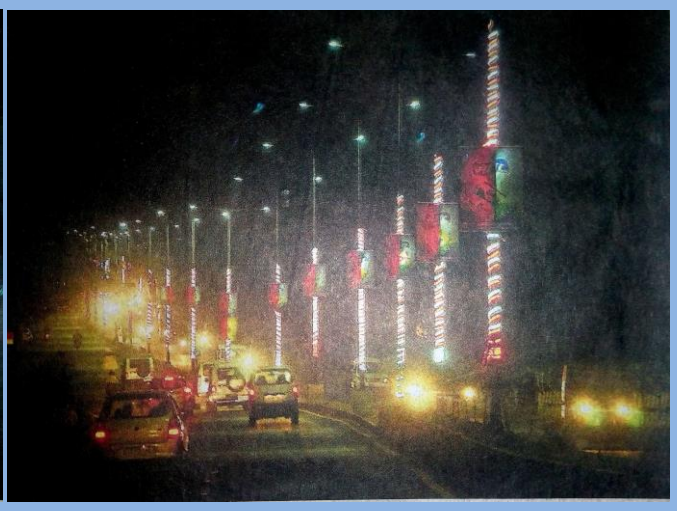

स्वच्छता की ओर. आकर्षण का केंद्र बना हरमू पुल के पास बना निगम का स्टेशन

पार्क से भी खूबसूरत कचरा ट्रांसफर स्टेशन

प्रभात अभियान

रांची. शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाये रखने का राज्य सरकार व रांची नगर निगम हर संभव प्रयास कर रही है. लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हों, इसके लिए शहर के कई इलाकों में निगम ने शौचालय व यूरिनल का निर्माण किया है. इन सबसे अलग रांची नगर निगम ने हरमू पुल के समीप शहर में एक ऐसा कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनाया है, जहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है. इस जगह पर वैसे तो शहर भर से लाये गये कचरे को डिकंपोज करने का काम किया जाता है, लेकिन परिसर में आपको कहीं भी कूड़ा-कचरा या गंदगी देखने को नहीं मिलेगा. इस जगह को अंदर व बाहर से देखने पर यह पूरी तरह से पार्क जैसा लगता है.

परिसर में लगी है विदेशी घास, दीवारों पर झारखंडी कला संस्कृति को दर्शाती तसवीरें भी

हरमू पुल के पास बने कचरा ट्रांसफर स्टेशन में कचरे को डिकंपोज करते मजदूर व परिसर की दीवार में बनायी गयी खूबसूरत पेंटिंग.

शहर का सबसे बड़ा कचरा ट्रांसफर स्टेशन देखने में लगता है पिकनिक स्पॉट जैसा

नगर निगम द्वारा हाल ही में हरमू पुल के समीप इस नवनिर्मित कचरा ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया गया है. पूरे शहर में यह सबसे बड़ा ट्रांसफर स्टेशन है. सबसे अधिक कूड़ा इसी ट्रांसफर स्टेशन में जमा किया जाता है. फिर भी यहां की साफ-सफाई देखती ही बनती है. परिसर में कहीं भी कूड़े-कचरे का एक ढेर देखने को नहीं मिलेगा. कचरे को डिकंपोज करने के बाद यहां से कूड़े को बड़े वाहन में भर कर झिरी ले जाकर डंप किया जा रहा है. इससे पहले छोटे वाहनों से लाये गये इस कूड़े को बड़े कॉम्पैक्टर में डाला जाता है. लेकिन इस प्रक्रिया में कहीं पर भी जमीन में कूड़ा-कचरा न गिरे, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है. सीलबंद कॉम्पैक्टर में कूड़े को रखे जाने के कारण इससे दुर्गंध भी नहीं के बराबर निकलती है. इस ट्रांसफर स्टेशन की सुंदरता के लिए शहर की सफाई व्यवस्था का काम संभाल रही एजेंसी रांची एमएस डब्ल्यू द्वारा परिसर के चारों ओर लैंड स्केपिंग व विदेशी घास लगाया गया है. दीवारों पर झारखंडी कला संस्कृति को दर्शाती हुई कई मनभावन तसवीरें भी उकेरी गयी हैं. परिसर में नारियल व कदम्ब के कई पेड़ भी लगाये गये हैं. कुछ ऐसा ही दृश्य खेलगांव के ट्रांसफर स्टेशन, खादगढ़ा ट्रांसफर स्टेशन व मोरहाबादी में बनाये गये कचरा ट्रांसफर स्टेशन का भी है.

गंदी जगह को बना दिया सुंदर

कचरा ट्रांसफर स्टेशनों को पार्क का स्वरूप दिये जाने के संबंध में रांची एमएस डब्ल्यू के सीएसआर हेड अश्विनी कुमार कहते हैं कि क्लीन व ग्रीन रांची के कॉन्सेप्ट को धरातल पर उतारे जाने के लिए इस तरह का लुक ट्रांसफर स्टेशनों को दिया गया है. हमारी मंशा यह है कि जब भी लोग इसे देखने आयें, तो एक बार उनके मन में यह सवाल उठे कि जब कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन इतना सुंदर हो सकता है, तो हम अपने घर व आसपास के इलाकों को सुंदर क्यों नहीं रख सकते हैं.

प्रज्ञा केंद्र के बजाय नगर निगम खुद जारी करेगा प्रमाण पत्र

अब एक रुपये में बनेगा जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र

रांची नगर निगम अब अपने क्षेत्र में होनेवाले जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र खुद जारी करेगा. इसके एवज में लोगों से शुल्क के रूप में केवल एक रुपये लिये जायेंगे. राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में रांची नगर निगम ने प्रमाण पत्र बनाने का काम मंगलवार से शुरू कर दिया है.

उत्तम महतो ▸ रांची

जैप-आइटी ने सात जनवरी को प्रज्ञा केंद्रों से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगा दी थी. उसके बाद सरकार के दिशा-निर्देश पर नयी व्यवस्था लागू कर दी गयी है. इसके तहत अब लोगों को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रांची नगर निगम भवन में स्थित काउंटर पर आवेदन जमा करना होगा. इसके लिए नया काउंटर उसी जगह खोला जायेगा, जहां पूर्व में प्रज्ञा केंद्र था. प्रज्ञा केंद्र से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम बंद होने के बाद नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने निगम भवन में स्थित प्रज्ञा केंद्र को हटाने का नोटिस प्रज्ञा केंद्र संचालक को दिया है. पत्र में नगर आयुक्त ने लिखा है कि एक सप्ताह के अंदर प्रज्ञा केंद्र अपने स्थल को छोड़ दें.

सीआरएस सॉफ्टवेयर से बनेंगे प्रमाण पत्र : पूर्व में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम ई-डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर से किया जाता था. अब यह काम सीआरएस (सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) से किया जायेगा. नये सॉफ्टवेयर से बनाये जानेवाले इन प्रमाण पत्रों के लिए नया फॉर्म भी जारी कर दिया गया है. यह पूर्व में प्रज्ञा केंद्रों द्वारा जारी किये जानेवाले फॉर्म से काफी आसान है. इस फॉर्म को अब कोई भी व्यक्ति आसानी से भर सकता है.

डिप्टी रजिस्ट्रार को भी दी गयी चेतावनी : नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने निगम के डिप्टी रजिस्ट्रार विश्वंभर भगत को भी नोटिस जारी कर चेतावनी दिया है कि वे ठीक ढंग से कार्य करें. कार्यालय अवधि में टेबल छोड़ कर इधर-उधर घूमने से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम बाधित होता है. ज्ञात हो कि जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में रजिस्ट्रार की भूमिका सबसे अहम होती है.

आवेदन का नया फॉर्म भी हुआ जारी
आसानी से भरा जा सकेगा यह फॉर्म

- सरकार ने दिया है निर्देश, प्रज्ञा केंद्रों पर नहीं बनेंगे जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र
- नगर आयुक्त ने नगर निगम कार्यालय से प्रज्ञा केंद्र को हटाने का आदेश दिया

36 रुपये लिये जाते थे इससे पहले प्रज्ञा केंद्रों में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए

नयी व्यवस्था में ऐसे जारी होंगे प्रमाण पत्र

आप अपने बच्चे के जन्म के 30 दिन तक आवेदन को सीधे निगम के जन्म-मृत्यु वाले काउंटर में जमा कर सकते हैं. एक बार आवेदन जमा होने के एक माह के अंदर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा. अगर बच्चे के जन्म के एक महीने तक आपने आवेदन नहीं दिया, तो आपको आवेदन के साथ शपथ पत्र और पार्षद का हस्ताक्षरित पत्र देना होगा. ऐसे आवेदनों की सबसे पहले एसडीओ कार्यालय में ले जाकर गवाही करानी होगी. उसके बाद आप इसे निगम के काउंटर में जमा कर सकते हैं. ऐसे आवेदनों के निष्पादन के लिए भी एक माह की समय सीमा निर्धारित की गयी है.

प्रशासन न हटाया सड़क से अतिक्रमण

जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को राजधानी के कचहरी रोड में अतिक्रमण हटाओं अभियान चलाया गया। इसकी शुरूआत एसबीआई मेन शाखा के पास से की गई। कचहरी चौक तक चलाए गए। अभियान के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने सड़क के किनारे डाब और पौधा बेचने वालों की दुकानों को हटाया। साथ ही दुकानदारों का सामना भी जब्त किया। साथ ही निदेश दिया कि अगर दोबारा दुकानें लगाई, तो उनके खिलाफ कानुनी कार्रवाई की जाएगी।
रांची नगर निगम बिरसा चौक के पास भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।

इस दौरान एक से अधिक दर्जन दुकानों के बाहर के छज्जे उखाड़े गए। वहीं गैस कटर से काटकर अवैध होर्डिंग जब्त की गई।

स्टेशन रोड से हटाया अतिक्रमण, जुर्माना भी वसूला

स्टेशन रोड से अतिक्रमण हटाती रांची नगर निगम की टीम.

संवाददाता ▸ रांची

मोमेंटम झारखंड के तहत 16 फरवरी से आयोजित होनेवाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले राजधानी की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है. रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम इस काम में जोर-शोर से लगी हुई है. इसी क्रम में सिटी मैनेजर संदीप कुमार के नेतृत्व में टीम ने गुरुवार को स्टेशन रोड से अतिक्रमण हटाया.

अभियान के दौरान टीम ने फुटपाथ पर लगी करीब दर्जन भर से अधिक पान की गुमटियों को हटाया और उनके सामान जब्त किये. वहीं, नाली के ऊपर

सख्ती

- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने का चल रहा अभियान
- शहर में रोजाना चल रहा अभियान, स्टेशन रोड में अभियान के दौरान 6000 जुर्माना वसूला टीम ने

में होटल चलानेवालों से जुर्माना वसूला गया. अभियान की वजह से सड़क किनारे दुकानें लगानेवालों में अफरा-तफरी मची रही. लोग अपने-अपने सामान को रिक्शा पर लाद कर भागते दिखे. अभियान में नगर निगम के अंबुज सिंह, धीरज कुमार, दीपक राम, मुकेश वर्मा, अख्तर हक सहित काफी संख्या में पुलिस के जवान भी लगे हुए थे.

आरके भोजनालय से वसूला 5000 जुर्माना : नगर निगम की टीम ने नाली के ऊपर में चूल्हा, बरतन और फर्नीचर रखकर होटल चलाने के आरोप में आरके भोजनालय से 5000 रुपये का जुर्माना वसूला. वहीं, नाली पर ही बनी एक दुकान तोड़ दिया गया और उससे 1000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया.

शुरू हो गयी पाइप लाइन की मरम्मत बचेगा पानी

कांटा टोली बहुबाजार मार्ग पर क्षतिग्रस्त पानी की पाइप लाइन की मरम्मत रविवार को शुरू हो गयी, यहां 33 इंच के ज्वाइंट से पानी रिस रहा था, पाइप लाइन तक पहुंचने के लिए सड़क को जेसीबी से तोड़ा गया। इसके बाद रिसाव वाली जगह चिन्हित कर मरम्मत शुरू की गयी।

वितरण प्रमंडल बूटी के कार्यपलक अभियंता श्री मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि रिसाव वाले स्थान तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। इस कारण मरम्मत में लंबा समय लगा हालांकि, उम्मीद है कि देर रात तक मरम्मत का काम पूरा कर लिया जायेगा। गौरतलब है कि करीब साल भर से इस क्षतिग्रस्त पाइप लाइप से लगातार पानी रिस रहा था। इससे न केवल प्रतिदित हजारों लीटर पानी बरबाद हो रहा था। बल्कि राहगीरों को भी काफी परेशानी हो रही थी। इस समस्या को प्रभात खबर ने 29 जनवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित की थी।

अन्य जगहों पर भी चल रहा मरम्मत का काम

कांटाटोली मुख्य चौक पर पिछले कई माह से क्षतिग्रस्त पानी की पाइप लाइन की भी मरम्मत शुरू हो गयी है। विभाग के अधिकारी ने बताया कि चूंकि दिन में यहां हेवी ट्रैफिक होती है। इसलिए यातायात पुलिस ने रात में काम करने को कहा है। यहां 33 इंच का डाउन लाइन है। इसमें हमेशा पानी का फ्लो काफी तेजी होता है। वही प्लाजा चौक के समीप क्षतिग्रस्त चेंबर को ठीक कर दिया गया है। हालांकि ओवरब्रीज के समीप स्थित बने चेंबर से पानी का बहाव जारी हैं। विभाग के अधिकारी ने कहा कि सोमवार को इसकी मरम्मत कर ली जायेगी।

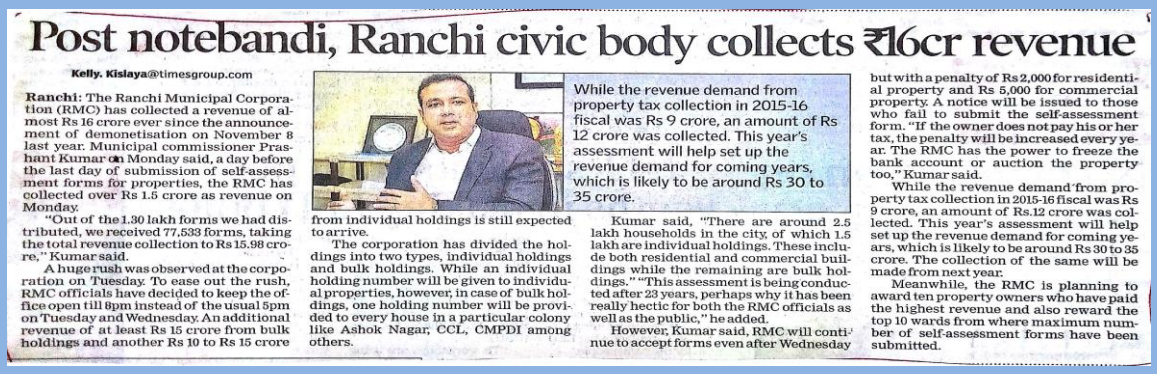

Post notebandi, Ranchi civic body collects ₹16cr revenue

Kelly. Kislaya@timesgroup.com

Ranchi: The Ranchi Municipal Corporation (RMC) has collected a revenue of almost Rs 16 crore ever since the announcement of demonetisation on November 8 last year. Municipal commissioner Prashant Kumar on Monday said, a day before the last day of submission of self-assessment forms for properties, the RMC has collected over Rs 1.5 crore as revenue on Monday.

"Out of the 1.30 lakh forms we had distributed, we received 77,533 forms, taking the total revenue collection to Rs 15.98 crore," Kumar said.

A huge rush was observed at the corporation on Tuesday. To ease out the rush, RMC officials have decided to keep the office open till 8pm instead of the usual 5pm on Tuesday and Wednesday. An additional revenue of at least Rs 15 crore from bulk holdings and another Rs 10 to Rs 15 crore from individual holdings is still expected to arrive.

While the revenue demand from property tax collection in 2015-16 fiscal was Rs 9 crore, an amount of Rs 12 crore was collected. This year's assessment will help set up the revenue demand for coming years, which is likely to be around Rs 30 to 35 crore.

The corporation has divided the holdings into two types, individual holdings and bulk holdings. While an individual holding number will be given to individual properties, however, in case of bulk holdings, one holding number will be provided to every house in a particular colony like Ashok Nagar, CCL, CMPDI among others.

Kumar said, "There are around 2.5 lakh households in the city, of which 1.5 lakh are individual holdings. These include both residential and commercial buildings while the remaining are bulk holdings." "This assessment is being conducted after 23 years, perhaps why it has been really hectic for both the RMC officials as well as the public," he added.

However, Kumar said, RMC will continue to accept forms even after Wednesday but with a penalty of Rs 2,000 for residential property and Rs 5,000 for commercial property. A notice will be issued to those who fail to submit the self-assessment form. "If the owner does not pay his or her tax, the penalty will be increased every year. The RMC has the power to freeze the bank account or auction the property too," Kumar said.

While the revenue demand from property tax collection in 2015-16 fiscal was Rs 9 crore, an amount of Rs.12 crore was collected. This year's assessment will help set up the revenue demand for coming years, which is likely to be around Rs 30 to 35 crore. The collection of the same will be made from next year.

Meanwhile, the RMC is planning to award ten property owners who have paid the highest revenue and also reward the top 10 wards from where maximum number of self-assessment forms have been submitted.

गर्मी में पानी की समस्या से निजात को लेकर बैठक

पेयजल सप्लाई पर निगम कार्यालय में हुई बैठक में मौजूद निगम प्रशासक, डिप्टी मेयर।

रांची | संवाददाता

गर्मी में शहर में पानी की समस्या कम हो इसे लेकर सोमवार को नगर निगम में बैठक हुई। बैठक की शुरुआत पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों में गर्मी के समय होने वाली पानी की समस्या बताकर की। जिसे निगम के अधिकारियों नोट किया। इसके अलावा पार्षदों ने मुख्यरूप से पानी की समस्या से निजात पाने के लिए उच्च प्रवाही नलकूपों (एचवाईडीटी) को शीघ्र ठीक कराने की मांग की।

पार्षदों का कहना था कि मोहल्लों में लगे अधिकतर एचवाईडीटी खराब पड़े हुए हैं। इसके अलावा पानी जमा करने के लिए लगाई गई प्लास्टिक की टंकियां भी खराब हो चुकी हैं। जिसे बदलने की जरूरत है।

इसपर नगर आयुक्त ने कहा कि वे अपने-अपने वार्ड के खराब चापाकल, एचवाईडीटी व अन्य प्रकार की सारी समस्याओं की लिखित जानकारी निगम को उपलब्ध कराएं। ताकि गरमी आने से पहले ही सभी समस्याओं को दूर किया जा सके। मौके पर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, अपर नगर आयुक्त विद्यानंद शर्मा पंकज व सभी इंजीनियर्स मौजूद थे।

नगर आयुक्त ने किया मोहल्लों का दौरा

लोगों से पूछा : नियमित कचरा उठाने वाहन आता है या नहीं

मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करते नगर आयुक्त प्रशांत कुमार.

■ मोरहाबादी व कांके रोड गये

संवाददाता ▸ रांची

शहर के 20 वार्डों की सफाई व्यवस्था का जायजा नगर निगम ने रांची एमएसडब्ल्यू कंपनी को दिया है. कंपनी द्वारा पिछले तीन माह से शहर में सफाई भी की जा रही है. परंतु कंपनी के कार्यों से शहर की जनता कितनी खुश है, इसका जायजा लेने के लिए शनिवार को नगर आयुक्त प्रशांत कुमार व अपर नगर आयुक्त विद्यानंद शर्मा पंकज ने मोरहाबादी व कांके रोड के कई मोहल्लों का दौरा किया. इस दौरान नगर आयुक्त ने लोगों से पूछा कि नयी कंपनी के वाहन प्रतिदिन कूड़ा उठाने आते हैं या नहीं. कंपनी के लोग सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं या नहीं. नगर आयुक्त के इस सवाल पर लोगों ने कहा कि कंपनी का कार्य बेहतर है. नियमित वाहन कूड़ा उठाने भी आता है, लेकिन वाहन के आने का कोई समय निर्धारित नहीं है. अगर एक निर्धारित समय पर कूड़ा उठानेवाला वाहन आये, तो लोगों को काफी फायदा होगा. इस पर नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने कहा कि जल्द ही ऐसी व्यवस्था बनायी जायेगी कि कूड़ा वाहन अपने निर्धारित समय पर ही कूड़ा उठाने आयेंगे.

मार्च तक सभी वार्डो में सफाई शुरू कर देगी रांची एमएसडब्लयू

राजधानी रांची में मॉडल सफाई– व्यवस्था लागू होने में एक महीना और लगेगा सफाई–व्यवस्था के लिए बनायी गयी कंपनी 'रांची एमएसडब्लयू' शहर के सभी 55 वार्डो के सफाई का काम मार्च से अपने हाथों में लेगी। कंपनी के अधिकारी बताते हैं कि मौजूदा समय में मोरहाबादी, कांटाटोली, खेलगांव और हरमु पुल के समीप कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है। यहां से 20 वार्डो की सफाई हो रही है। नागाबाबा खटाल, जगन्नाथपुर धुर्वा और रामगढ़ ट्रेकर स्टैण्ड में कचरा ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जो एक सप्ताह में पूरा हो जायेगा। इनका निर्माण होने के बाद यहां से अन्य 12 वार्डो की सफाई शुरू हो जायेगी। कंपनी द्वारा शहर के 14 जगहों पर कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनाने की योजना थी।

आज मिलेगा झारखंड को अवार्ड

रांची. वार्डों में वार्ड समिति बनाने से लेकर निकायों में विकेंद्रीकरण किये जाने के कारण नगर विकास विभाग को अवार्ड मिलेगा. विभाग को वी रामचंद्रण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अरबन डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग थ्रू कांस्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमेटी एंड सब कमेटी के लिए दिया जायेगा. बेंगलुरू की संस्था जनाग्रह द्वारा दो मार्च को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड को यह अवार्ड दिया जायेगा. विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह को यह अवार्ड शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू देंगे. जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजंस एंड डेमोक्रेसी ने अपने चौथे एनुअल सर्वे ऑफ इंडियाज सिटी सिस्टम-2016 को जारी कर दिया है. इसमें शहरी प्रशासन के मामले में रांची नगर निगम को 13वां रैंक दिया गया है. शहरी प्रशासन के मूल्यांकन के आधार पर संस्था द्वारा 18 राज्यों के 21 शहरों को रैंकिंग दी गयी है. रिपोर्ट में सबसे बेहतर शहरी निकाय तिरुवनंतपुरम है. वहीं बिहार की राजधानी पटना को 11वां रैंक दिया गया है. दूसरे स्थान पर पुणे, तीसरे पर कोलकाता, चौथे स्थान पर मुंबई, पांचवें पर हैदराबाद, छठे स्थान पर भोपाल और सबसे अंतिम स्थान पर चंडीगढ़ है.

■ **शहरी प्रशासन में रांची नगर निगम 13वें रैंक पर**

टमटम टोली में चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, रांची : मेयर आशा लकड़ा की पहल के बाद भी टमटम टोली के चार परिवारों को राहत नहीं मिली। सोमवार को रांची नगर निगम की टीम ने खादगढ़ा स्थित बिरसा मुंडा बस टर्मिनल के 17.6 फीट अतिक्रमित जमीन पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमित हिस्से पर निर्मित भवन को तोड़ दिया। लगभग 3:30 बजे रवि पवन कुजूर व रिंकी मिंज के आग्रह पर निगम की टीम ने कार्रवाई बंद की। निगम के अधिकारियों ने उनसे कोरे कागज पर यह भी लिखवाया कि सुबह आठ बजे तक वे अपना घर खाली कर देंगे। निगम के अधिकारियों ने उन्हें कहा कि सुबह नौ बजे के बाद घर तोड़ दिया जाएगा। मौके पर अधीक्षण अभियंता विजय कुमार भगत, कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार, नगर प्रबंधक शशि प्रकाश समेत इंफोर्समेंट ऑफिसर्स उपस्थित थे।

मेयर के समक्ष की थी फरियाद : नगर निगम की जमीन पर 70 वर्ष से रह रहे लोगों ने 16 मार्च को मेयर के समक्ष फरियाद की थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया था कि निगम की ओर से चिन्हित की गई जमीन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाता तो चार परिवारों का आशियाना उजड़ने से बच जाता।

अतिक्रमण हटाती नगर निगम की टीम ● जागरण

कार्रवाई

- निगम की 17.6 फीट जमीन से हटा अतिक्रमण
- चार परिवारों का उजड़ा आशियाना
- अतिक्रमित हिस्से पर निर्मित भवन को तोड़ा गया

घर टूटने के बाद निराश बैठे लोग।

डिस्टिलरी के बगल में बनेगा अंडर ग्राउंड मार्केट

रोजाना कोकर डिस्टिलरी पुल और लालपुर होकर गुजरनेवाले हजारों लोगों को अब जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम डिस्टिलरी पुल के पास दिल्ली के पालिका बाजार की तर्ज पर 6000 वर्गफीट में अंडर ग्राउंड मार्केट बनाने जा रहा है। मार्केट के ऊपर 100 से अधिक वाहनों की पार्किंग होगी। इंजीनियरिंग विभाग की ओर से तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने सोमवार को एक प्रेस कांफ्रेस में यह जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि डिस्टिलरी पुल शुरू होने के बाद नीचे बनाया गया डायवर्सन बंद कर दिया गया है। उस जमीन को उपयोग नन–वेजिटेबल मार्केट बनेगा। डिप्टी मेयर ने बताया कि अंडरग्राउंड मार्केट में मछली की 50 दुकानें, चिकेन की 42 और खस्सी बेचनेवालों को आठ दुकानें उपलब्ध करायी जाएगी। वहीं, सड़क किनारे हरी सब्जी बेचनेवाले 150 से अधिक दुकानदारों को डिस्टिलरी पुल से लालपुर चौक को जानेवाली सड़क की बायीं ओर कैसरे हिद जमीन पर बसाया जाएगा। नगर निगम ने उक्त भूखंड की भी मापी कर ली है। यहां सब्जी वालों को प्लेटफार्म बना कर दिया जाएगा।

Celebration of WOMEN's day in Ranchi Municipal Corporation's conference hall

On the occasion of women's day, consolation money is distributed to all members of self-help group (SHG) and Area level federation (ALF) Under DAY-NULM by Mayor Mrs. Asha Lakra in the presence of Deputy Mayor, Deputy Municipal commissioner, Additional Municipal commissioner and Additional Executive officer in Ranchi Municipal Corporation's conference hall . Revolutionary Fund Cheque of Rs 2,10,000/- and Rs 50,000/- is distributed to SHG and ALF respectively and SHG has received appreciation momentum from the honorable Mayor (RMC).

सख्ती. शहर की पांच प्रमुख सड़कों पर चलेगा अभियान

गिफ्ट डीड की जमीन अपने कब्जे में लेगा नगर निगम

रांची नगर निगम शहर की पांच प्रमुख सड़कों के किनारे गिफ्ट डीड की जमीन को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है. सूत्र बताते हैं कि नगर निगम ऐसे भूखंडों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पार्किंग के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है.

नगर आयुक्त ने टाउन प्लानर और अभियंताओं को दिया आदेश

गिफ्ट डीड की जमीन को चिह्नित कर अतिक्रमण मुक्त करायें

जमीन को अपने कब्जे में लेकर हल पर पार्किंग बनायेगा निगम

संवाददाता ▸ रांची

नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने नगर निगम के टाउन प्लानर और अभियंताओं को आदेश जारी किया है कि वे गिफ्ट डीड वाली जमीनों को चिह्नित करें. साथ ही ऐसी जमीनों पर अगर कोई अतिक्रमण है, तो उन्हें हटा कर कब्जे में लें.

इस आदेश के तहत नगर निगम के टाउन प्लानर और अभियंता शहर की पांच सड़कों की जांच करेंगे. इनमें एमजी मार्ग (मेन रोड), कलब रोड, सर्कुलर रोड, सिरोम टोली चौक से कांटाटोली चौक की सड़क और करमटोली चौक से बोड़ेया जानेवाले सड़क शामिल हैं. जांच के दौरान यह देखा जायेगा कि किन-किन भवन मालिकों ने गिफ्ट डीड की जमीन पर कब्जा कर रखा है. अगर कहीं पर कब्जा मिलता है, तो संबंधित भवन मालिक को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने को कहा जायेगा. अगर भवन मालिक स्वेच्छा से जमीन खाली नहीं कराता है, तो नगर निगम मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर अपने कब्जे में ले लेगा.

भवनों के नक्शे की भी जांच करने का आदेश

जारी आदेश में नगर आयुक्त ने टाउन प्लानर और अभियंताओं को निर्देश दिया है कि उक्त पांचों सड़कों के किनारे जो भवन बन चुके हैं या बन रहे हैं, उन सभी के नक्शों की भी जांच की जाये. अगर कोई व्यक्ति अपना नक्शा जांच टीम को नहीं देता है, तो ऐसे भवन मालिकों के खिलाफ अवैध निर्माण का केस दर्ज कराया जाये.

क्या होता है गिफ्ट डीड

आमतौर पर जब शहर की किसी सड़क के किनारे बननेवाले किसी भवन का नक्शा पास होता है, तो निगम नक्शा स्वीकृत करने के एवज में भवन मालिक से गिफ्ट डीड के रूप में जमीन का एक हिस्सा अपने नाम पर लेता है, ताकि भविष्य में अगर सड़क चौड़ी करनी पड़े तो इस जमीन का उपयोग हो सके. हालांकि, अधिकतर बहुमंजिली इमारतें बनानेवाले गिफ्ट डीड की जमीन पर भी कब्जा कर लेते हैं. ये गिफ्ट डीड की जमीन पर भूखंड पर रैप का निर्माण कर देते हैं या ग्रिल और गेट लगा देते हैं. यानी गिफ्ट डीड के बावजूद उस जमीन पर भवन निर्माता का ही कब्जा बना रहता है.

कर वसूली के लिए निकाय करेंगे चल संपत्ति को नीलाम

विशेष संवाददाता ▸ रांची

कैबिनेट ने झारखंड नगरपालिका कर भुगतान विनियम 2017 को मंजूरी दे दी. इसके तहत कर वसूली के लिए स्थानीय निकायों को संपत्ति नीलाम करने का अधिकार दिया गया है. स्थानीय निकाय कर की वसूली के लिए बकायेदारों की चल संपत्ति जैसे बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल आदि जब्त कर नीलाम कर सकेंगे. इससे मिलनेवाली राशि में से कर का समायोजन कर शेष बैंक में जमा कर दी जायेगी. नगरपालिका अधिनियम 2011 में भवनों की रिक्त भूमि पर कर लगाने का प्रावधान है. इसके अलावा विज्ञापनों पर कर और मनोरंजन कर पर सेस लगाने का प्रावधान है. हालांकि, कर और सेस की वसूली सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से निकायों की वित्तीय स्थिति खराब हो रही थी. इससे निबटने के लिए स्थानीय निकायों को अतिरिक्त शक्तियां दी गयी हैं.

नगरपालिका कर भुगतान विनियम 2017 को मंजूरी

कितना दंड

- नोटिस मिलने के एक सप्ताह के अंदर तक दंड की राशि एक प्रतिशत होगी
- दो सप्ताह तक दो प्रतिशत, एक माह तक तीन प्रतिशत और दो माह से अधिक की अवधि के लिए दंड की राशि पांच प्रतिशत
- दो माह की अवधि समाप्त होने पर प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत अतिरिक्त दंड की राशि वसूली जायेगी

किस्तों में भुगतान की भी सुविधा

- जिन बकायेदारों को वसूली के लिए नोटिस नहीं किया गया है, उन्हें बकाया राशि किस्तों में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी
- 10 हजार से कम राशि दो किस्तों में भुगतान करने की सुविधा सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों व विधवाओं को
- 10 से 25 हजार रुपये तक की राशि कोई भी बकायेदार दो समान किस्तों में चुका सकेगा
- 25 से 50 हजार रुपये तक की बकाया राशि दो किस्तों 60 और 40 प्रतिशत में चुकायी जा सकेगी
- 50 हजार से अधिक की राशि 70 और 30 प्रतिशत के हिसाब से दो किस्तों में चुकायी जा सकेगी

प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी को भी मिली मंजूरी

कैबिनेट ने उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी को मंजूरी दी. इसमें उद्योगों के लिए उपायुक्त के माध्यम से जमीन खरीदने का प्रावधान किया गया है. उपायुक्त जमीन खरीदने में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने और जमीन मालिक को उचित दर मिलना सुनिश्चित करेंगे. कैबिनेट की बैठक में सिपाही, पुलिस चालक, अवर निरीक्षक, सर्जेंट मेजर सहित कुल 17 पदों को निःशक्तों को दिये जानेवाले तीन फीसदी आरक्षण से मुक्त कर दिया गया है. लघु खनिज समानुदान नियमावली में संशोधन करते हुए लघु खनिजों पर रॉयल्टी बढ़ा दी है. पेज आठ भी देखें

- आनंद विवाह संशोधन अधिनियम 2012 में सिख समुदाय के लिए विवाह निबंधित कराने का प्रावधान